

क्रमांक: प.4(1)साप्र / 5 / 2023-01201

जयपुर, दिनांक:

—:: आज्ञा ::—

इस विभाग के दिशा-निर्देश संख्या प.7(2)साप्र/5/2006 दिनांक 27.10.2006 व आदेश दिनांक 22.06.2022 एवं विभागीय आदेश क्रमांक प.4(3)साप्र/5/2016 दिनांक 16.03.2016 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकारी को उनके नाम के सामने अंकित आवास **एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा नियमित आवास उपलब्ध होने तक, जो भी पूर्व हो**, के लिए निम्नांकित शर्तों पर **अस्थाई रूप से** आवंटित किये जाते हैं:-

1. आवंटित आवास अस्थाई प्रकृति का आवास है, जिसका कब्जा एक सप्ताह में प्राप्त करना होगा। एक सप्ताह में कब्जा ग्रहण नहीं करने की स्थिति में आवंटन स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. संबंधित अधिकारी को नियमानुसार मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा।
3. संबंधित अधिकारी से आवास के पेटे नियमानुसार किराया राशि की अग्रिम वसूली महाप्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर द्वारा की जावेगी।
4. संबंधित अधिकारी के विरुद्ध ट्रांजिट हॉस्टल/बजाजनगर अपार्टमेन्ट, जयपुर की पूर्व की कोई राशि बकाया हो, तो कब्जा देने से पूर्व वसूल कर ली जावे।
5. संबंधित अधिकारी को मूल वेतन प्रमाण-पत्र (Pay-Slip) महाप्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल को प्रस्तुत करना होगा।
6. स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति की सूचना संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा महाप्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर को तुरन्त दी जाएगी तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह में आवास रिक्त करना होगा।
7. आवंटि को सम्पत्ति विवरण घोषणा-पत्र, गत भुगतान प्रमाण-पत्र, जो आहरण वितरण अधिकारी से प्रमाणित हो, उपलब्ध कराना होगा।
8. समय-समय पर इस विभाग द्वारा निर्धारित अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

क्र. सं.	अधिकारी का नाम व पद	पे-लेवल	वरियता संख्या	सेवानिवृत्ति तिथि	आवंटित आवास संख्या
1.	श्रीमती सीता वर्मा, नर्सिंग ऑफिसर, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर (7568516865)	L-11	31/2023	31-07-2038	A-II-09, के स्थान पर C-26, बजाजनगर अपार्टमेंट परिवर्तित
2.	श्रीमती तारावती चौधरी, नर्सिंग ऑफिसर, कार्यालय-सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर (8104379104)	L-11	22/2023	30-06-2053	D-39, बजाजनगर अपार्टमेंट
3.	श्री मनोज कुमार हॉसीवाल, नर्सिंग ऑफिसर, सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर (8619134360)	L-11	01/2024	31-07-2047	A-II-11, बजाजनगर अपार्टमेंट
4.	श्री राकेश कुमार जुनवाल, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, कमान अधिकारी, प्रथम राजस्थान एयर स्क्वाड्रन एनसीसी, जयपुर (7877260533)	L-11	04/2024	30-09-2036	E-I-53, बजाजनगर अपार्टमेंट
5.	श्री राजपाल, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर (7877223186)	L-11	05/2024	31-08-2054	A-I-07, बजाजनगर अपार्टमेंट
6.	श्री अमित राज गुर्जर, नर्सिंग ऑफिसर, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर (9784487094)	L-11	06/2024	31-12-2044	A-I-08, बजाजनगर अपार्टमेंट

RajKaj Ref
7339137

7.	श्रीमती पिकेश सिंह, नर्सिंह ऑफिसर, एस एम एस मेडिकल कॉलेज, जयपुर (9462681498)	L-11	07/2024	31-07-2048	A-II-09, बजाजनगर अपार्टमेंट
8.	सुश्री जिज्ञासा शर्मा, संयुक्त परियोजना समन्वयक-11, निदेशालय, ICDS, जयपुर (9166796772)	L-14	08/2024	30-04-2050	G-73, बजाजनगर अपार्टमेंट

नोट:—उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या-1 का आवास उक्तानुसार परिवर्तित करते हुए एवं क्रम संख्या 2 व 3 के अधिकारियों को विभागीय समसंख्यक आवंटन आदेश दिनांक 19.03.2024 व 25.04.2024 से अनभिज्ञ होने के कारण इन्हें पुनः कब्जा ग्रहण किये जाने की अवधि में शिथिलन प्रदान करते हुए **पाँच कार्यदिवस** में नाम के सम्मुख अंकित आवास का कब्जा ग्रहण कर प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, गांधीनगर को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(नीतू राजेश्वर)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपित निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर, जयपुर।
2. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (विद्युत), वृत्त—जयपुर।
3. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
4. महाप्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर— कृपया आवास का कब्जा देने से पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण—पत्र प्राप्त करें कि आवंटी आवेदन—पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से अब तक उनके विभाग में जयपुर में ही पदस्थापित है तथा आवंटी से सम्पत्ति विवरण द घोषणा—पत्र, गत भुतगान प्रमाण—पत्र, जो आहरण वितरण अधिकारी से प्रमाणित हो, प्राप्त करें।
5. अधिशाषी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर, जयपुर।
6. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी जयपुर/वि0वि0निगम लि., गांधीनगर, जयपुर।
7. संबंधित विभागाध्यक्ष.....।
8. **संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को भेजकर लेख है कि उनको आवंटित आवास का कब्जा एक सप्ताह तक प्राप्त कर विभाग को अवगत करावें। निर्धारित तिथि के पश्चात् रिक्त आवास को अन्य प्रतीक्षारत अधिकारी को आवंटित कर दिया जावेगा।**
9. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग— आवंटी को वरीयतानुसार नियमित आवास आवंटित करवाकर अवगत करावें।
10. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग— को आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव